

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम .....तहसीलदार शिकारपुर जिला बुलन्दशहर .....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- 1839

दिनांक- 28/04/2022

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये मान्य

राजस्व निरीक्षक क्षेत्र 18 की आख्या दिनांक 27/04/2022 के आधार पर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी अरविन्द शर्मा

पुत्र/पति/पुत्री लोकेन्द्र शर्मा ग्राम/कस्बा दीवी

पोस्ट ऑफिस दीवी थाना पहाड़

तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर राज्य उत्तर प्रदेश

पिन कोड के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से


कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8

लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं

है:-

1. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी अरविन्द शर्मा जाति ब्राह्मण (साधु) के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ..... शिकारपुर

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी  
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

21/10/21

अविनाशभा प्रालाकशभा नि

देवी परमा परमा तस्मात् तस्मात्

[illegible]

1096414 311(101) 1208 70000. 1/1

- 1- पौ. वन की रकताना आप 800000 से कम है
- 2- पौ. वन के पास 5 राजस्व से अधिक भूमि नहीं है
- 3- पौ. वन के पास 1000 करोड़ का कोई फंड नहीं है

4- अल्प नगरपालिका को अन्तर्गत 150  
वर्ग का आवासीय गृहहरू नष्ट भएका छन्।

5- आर्य समाज नगर पालिका को दत्त 200 फी  
का आवासीय भूखंड नहीं  
रहा पर सेवा के प्रकृति ही

11.3.4

प्रमाणित किया जाता है

۱۳۳۳

27/04/22

27/04/2022  
जयपुर राष्‍ट्रिय मंदिर  
(राजस्‍व निरीक्षक)

26-4-2022  
Monday